म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि
01.10.2024 से 15.10.2024 तक

ऑनलाइन परीक्षा पद्धति
समय सारणी

आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि
01.10.2024 से 20.10.2024 तक

संभावित परीक्षा तिथि	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	उत्तर अंकित का समय
10 नवम्बर 2024 से प्रारंभ	प्रथम	प्रात: 07:00 से प्रात: 08:00 बजे तक	प्रात: 09:00 से 11:30 बजे तक (02:30 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:30 से दोपहर 01:30 बजे तक	दोपहर 02:30 से 05:00 बजे तक (02:30 घंटे)

टीप- 1. प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुन: पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है।

2. शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी। पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिये विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जावेगी।

परीक्षा शहर : बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खण्डवा, नीमच रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन।

आवेदन पत्र भरने की प्रकिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका मण्डल की वेबसाइट **www.esb.mp.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित अर्हताओं/नियमों/शर्तों/अन्य समस्त जानकारियों का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे।
2. वेबसाइट **www.esb.mponline.gov.in** के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
3. **परीक्षा शुल्क***

अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रु. 500/-
केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए	रु. 250/-
ऑनलाइन आवेदन-कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क	रु. 60/-
अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क	रु. 20/-

विशेष निर्देश :

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यपित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिर्दिष्ट मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अत: जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक हैं वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजीटल घड़ी, नकल पर्चा एवं **sun glasses** (धूप का चश्मा) आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मण्डल वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रकिया के दौरान सम्बंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अत: कम्प्यूटर आधारित (Online) परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णत: प्रावधिक (Provisional) होगी।

विशेष नोट : मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि/परीक्षा पाली/शहरों/केन्द्रों एवं अन्य बिन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है

विज्ञापन क्र. 37/2024

संचालक

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल
'चयन भवन' मेन रोड नं. - 1, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल - 462011
Fax : +91-755-2550498, Website : www.esb.mp.gov.in

म.प्र. माध्यम/116615/2024